कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 2105/322/आ.उ.शि./शा–2/17, भोपाल, दिनांक 08/09/2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2017–18 की आमंत्रण प्रक्रिया में अतिथि विद्वानों की उपस्थिति की समय–सीमा के सम्बंध में निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान व्यवस्थान्तर्गत आवंटन सूची जारी की गई है, तदानुसार अतिथि विद्वानों का आमंत्रण अनिवार्यतः जारी करें।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा आमंत्रण एवं उपस्थिति की अंतिम तिथि दिनांक 09.09.2017 नियत की गई थी, इस अवधि को दिनांक 12.09.2017 सायं 05:00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अतिथि विद्वान के न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2101/322/आ.उ.शि./शा–2/17, भोपाल, दिनांक 08/09/2017 का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 2106/322/आ.उ.शि./शा–2/17 भोपाल, दिनांक 08/09/2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश